उत्तराखण्ड शासन

श्रम अनुभाग

संख्याः 138 /VIII-1/23-91 श्रम/2008

देहरादून, दिनांकः 19 जुलाई, 2023

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल, श्रम अनुभाग की अधिसूचना संख्या- 1256/VIII/18- 91(श्रम)/2008, दिनांक 28.11.2018 को अधिक्रमित करते हुए इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने की तारीख से राज्य में कार्यरत समस्त कारखाना/कम्पनियों में महिला कर्मकारों को रात्रि पाली में सांय 07:00 से प्रातः 06:00 बजे तक कार्य करने की निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. नियोजक तथा अन्य उत्तरदायी व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि वे कार्यस्थल अथवा संस्थान में ऐसे प्रबन्ध करें कि यौन उत्पीड़न के कृत्य अथवा घटना न होने पाये। ऐसी घटना हो जाने की स्थिति में तत्काल विधिक कार्यवाही एवं अभियोजनात्मक कार्यवाही के सभी आवश्यक कदम उठाने की व्यवस्था करें। यौन उत्पीड़न में अवांछनीय यौन संबंधी व्यवहार चाहे प्रत्यक्षतः या विवक्षित तौर पर हो, जैसे कि- शारीरिक सम्पर्क तथा निकटता, यौन स्वीकृति के लिए मांग अथवा अनुरोध, कामासक्त फब्तियां, अश्लील सहित्य दिखाना तथा यौन प्रकृति का कोई अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण सम्मिलित है।

2. **सभी नियोजक तथा कारखाना या कार्यस्थल के प्रभारी व्यक्ति यौन उत्पीड़न को रोकने के लिये निम्नलिखित कदम उठायेंगे:-**

   (i) नियोजक द्वारा यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए आचरण तथा अनुशासन विषयक नियम या विनियम, बनाये जायेंगे तथा उसमें दुराचरण करने वाले के विरूद्ध समुचित दण्ड की व्यवस्था के साथ कारखाने में वर्तमान लागू स्थाई आदेश में आवश्यक प्रावधान किये जायेंगे।

   (ii) कारखाने में कार्य, मनोरंजन, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए उचित कार्य वातावरण की व्यवस्था की जायेगी, जिससे यह सुनिश्चित् हो सके कि कार्य स्थल पर महिलाओं के लिए प्रदूषित वातावरण निर्मित नहीं है तथा किसी महिला कर्मचारी के विश्वास के लिए यह पर्याप्त आधार न हो कि उनके लिए नियोजन से संबंधित कोई अलाभकारी स्थिति है।

   (iii) नियोजक, कारखाने में शिकायत की सुनवाई की समुचित व्यवस्था प्रणाली संधारित करेंगे तथा ऐसी प्रणाली में समयबद्ध तरीके से शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। एक शिकायत-समिति गठित की जायेगी जिसमें विशेष सलाहकार तथा अन्य सहायक सेवाओं की व्यवस्था भी शामिल होगी तथा गोपनीयता बनाए रखी जायेगी।

   (iv) किसी अपराधिक घटना की स्थिति में नियोजक दण्डनीय कानून के प्रावधान के अनुरूप बिना किसी विलम्ब के समुचित कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे तथा यह भी सुनिश्चित् करेंगे कि

यौन उत्पीड़न के शिकार व्यक्ति तथा उनके गवाहों का उत्पीड़न न हों तथा यौन उत्पीड़न की शिकायत के दौरान कोई भेदभाव न किया जाय। यदि प्रभावित श्रमिक के अनुरोध पर उन्हें पाली स्थानान्तरण अथवा स्थानान्तरण की आवश्यकता हो तो आवश्यक व्यवस्था करेंगे, नियोजक समुचित अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे यदि ऐसा आचरण नियोजन में दुराचरण की परिधि में आता हो।

(v) सभी शिकायत समितियों की अध्यक्ष महिला होगी तथा समिति में महिला सदस्यों की संख्या आधे से कम न होगी। इसके अतिरिक्त उस समिति में अशासकीय संगठन का प्रतिनिधि अथवा ऐसा व्यक्ति सम्मिलित होगा जो यौन उत्पीड़न के मामलों की जानकारी रखता हो।

(vi) महिला कर्मचारियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाया जाएगा तथा ऐसे दिशा–निर्देशों को मुख्य रूप से अधिसूचित किया जायेगा।

(vii) जहा पर यौन उत्पीड़न की घटना किसी तृतीय पक्ष द्वारा की जाए वहां पर नियोजक अथवा कारखाने के प्रभारी को घटना की रोकथाम के लिए समुचित सहयोग तथा सहायता दी जानी होगी।

3. नियोजक द्वारा महिलाओं की सुरक्षा व कार्य वातावरण हेतु निम्नलिखित प्रबन्ध किये जायेंगे:–

(i) रात्रि पाली के दौरान प्रवेश (Entry) तथा निर्गम (Exit) स्थल पर महिला श्रमिकों के लिए सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था हो। कारखाना प्रबन्धकों द्वारा कारखानें के अन्दर जहां पर महिला कर्मकार कार्य करेंगी, कारखाने के बाहर तथा प्रत्येक प्रवेश द्वार में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाया जाना अनिवार्य होगा।

(ii) नियोजक महिला श्रमिकों को रात्रि पाली में कार्य स्थल पर लाने व उनके आवास पर वापस ले जाने के लिए सुरक्षा गार्ड सहित परिवहन की व्यवस्था करेगा, जिसके अर्न्तगत वाहन में कैमरे, जी0पी0एस0 व पैनिक बटन (इमरजेंसी अलार्म) की सुविधा अवश्य होनी चाहिए तथा वाहन पर महिला हैल्प लाईन नम्बर व अन्य आकस्मिक नम्बर लिखे होने चाहिए, अधिकृत वाहन का तथा उसके ड्राईवर का पुलिस सत्यापन आवश्यक रूप से कराया जाना होगा।

(iii) नियोजक न केवल कारखानों के अदर पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था करेंगे बल्कि कारखानों के चारों ओर तथा ऐसी समस्त जगहों पर जहां पर महिला श्रमिक रात्रिकालीन पाली के दौरान आवश्यकतानुसार आती–जाती होंगी, पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था मय बैकअप करेंगे।

(iv) रात्रि पाली के दौरान सुपरवाईजर या शिफ्ट इंचार्ज या फोरमैन या अन्य सुपरवाईजरी स्टॉफ में महिला कार्मिकों की नियुक्ति की जायेगी।

(v) कारखाना अधिनियम, 1948 के अंतर्गत निर्धारित व्यवस्थानुसार महिलाओं के छोटे बच्चों की देखभाल आदि हेतु क्रैच (शिशु सदन) की व्यवस्था सुनिश्चित् की जायेगी।

(vi) कारखाना अधिनियम, 1948 के अनुसार कैंटीन की व्यवस्था सुनिश्चित् की जायेगी।

(vii) कारखाने द्वारा समुचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा जरूरत के समय आवश्यक दूरभाष सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा जिस पाली में 100 से अधिक महिला श्रमिक कार्यरत हैं, उसमें वाहन रखा जायेगा, ताकि तात्कालिक स्थिति में उन्हें चिकित्सालय पहुँचाया जा सके।

4. नियोजक यह भी देखेंगे कि नियोजित महिला श्रमिकों के एक बैच में 10 से कम संख्या नियोजित न हो तथा रात्रि पाली में कारखानों में कुल नियोजित कर्मकारों में महिला श्रमिकों की संख्या 20 से कम न हो।

5. नियोजक प्रत्येक रात्रि पाली में कम से कम 01 महिला वार्डन की नियुक्ति करेगा, जो कि कार्य के दौरान परिभ्रमण करने तथा विशेष कल्याण सहायक के रूप में कार्य करेगी।

6. कार्य के घंटे के संदर्भ में कारखाना अधिनियम तथा अन्य नियम के प्रावधान के अतिरिक्त, समान पारिश्रमिक भुगतान एवं अन्य श्रम कानूनों का अनुपालन भी नियोजक द्वारा किया जायेगा।

7. महिला श्रमिक जो रात्रि पाली तथा नियमित पाली में काम करती हो, की एक मासिक बैठक उनके प्रतिनिधियों तथा प्रमुख नियोजक के साथ होगी, जिसे 08 सप्ताह में एक बार शिकायत दिवस के रूप में आयोजित किया जायेगा। नियोजक यह प्रयत्न करेंगे कि उक्त व्यवस्था का परिपालन हो. नियोजक द्वारा सभी उचित शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था की जायेगी।

8. किसी महिला कर्मकार से किसी भी कार्य दिवस में 09 घण्टे से अधिक और किसी भी सप्ताह में 48 घण्टे से अधिक कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

9. यदि कोई महिला कर्मकार सांय 07:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे की अवधि के दौरान कार्य करने से इंकार करें, तो नियोजक उसे केवल इस कारण से नियोजन से नहीं हटायेगा कि उसने उक्त अवधि के दौरान कार्य करने से इंकार कर दिया। दिन के समय में अर्थात् रात्रि पाली के अतिरिक्त महिला कार्मिकों/श्रमिकों हेतु कार्य के घंटे तथा कार्य संपादन की प्रक्रिया प्रचलित नियमानुसार यथावत् रहेगी।

10. नियोजक प्रत्येक 15 दिन में रात्रि पाली में नियोजित कर्मचारियों के विवरण सहित कारखाना निरीक्षक को एक प्रतिवेदन भेजेगा तथा ऐसी किसी आकस्मिक घटना का प्रतिवेदन तत्काल ही कारखाना निरीक्षक तथा स्थानीय पुलिस स्टेशन को भेजेगा।

11. नियोजक, महिला श्रमिकों को आंशिक/पूर्ण रूप से रात्रि पाली में नियोजित करने हेतु स्वतंत्र होगें, जिसमें उपर्युक्त निर्देशों का परिपालन आवश्यक होगा।

2. उपर्युक्त शर्तों का दृढता से अनुपालन कराये जाने हेतु श्रम विभाग के अधिकारी/कर्मचारी निरन्तर अनुश्रवण करेंगे तथा अनुश्रवण की सामयिक रिपोर्ट संकलित कर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)
सचिव।

संख्याः-138 (1)/VIII-1/23-91(श्रम)/2008, तद्दिनांकित।